Need to improve Aadhaar update services in Rajasthan-Laid

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(**बाड़मेर**) :** मैं नियम 377 के अंतर्गत राजस्थान में आधार सुधार सेवाओं में व्याप्त गंभीर खामियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । जन्मतिथि एवं लिंग से संबंधित आधार सुधार की समस्याएँ स्थानीय स्तर पर हल नहीं हो पा रही हैं, जिससे नागरिकों को दिल्ली तक अना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की हानि हो रही है । यह भी सामने आया है कि आधार में सुधार के लिए केवल दो बार अवसर दिया जाता है और दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 220 टोकन ही जारी किए जाते हैं आधार में सुधार के लिए । कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा टोकनों की कालाबाज़ारी कर उन्हें ₹5,000₹6,000 में बेचने की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं । सुबह 6 बजे टोकन वितरण की व्यवस्था से बुज़ुर्गों, महिलाओं और गरीब वर्ग को भारी कठिनाई होती है । राज्य स्तर पर प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण दिल्ली में एक ही बेंच कई राज्यों के मामलों को देख रही है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राज्य स्तर पर सुधार सुविधाएँ सुदृढ़ की जाएँ, कालाबाज़ारी पर कठोर कार्रवाई हो तथा निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ।